



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

8 माघ, 1947 (श०)

संख्या - 30 राँची, बुधवार,

28 जनवरी, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

आदेश

21 जनवरी, 2026

आदेश सं०-03/आरोप-11-40/2025 का०- 356--श्रीमती सुनीला खलखो, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-134/20), जिला आपूर्ति पदाधिकारी पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के विरुद्ध खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1871, दिनांक 15.07.2025 द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया है।

2. आरोप पत्र में श्री खलखो के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप निम्नवत् हैं

(i) श्रीमती सुनीला खलखो, जिला आपूर्ति पदाधिकारी प० सिंहभूम के द्वारा 04 बार स्मारित करने के बाद भी निगरानी थाना कांड संख्या-19/15, दिनांक 21.05.2015 एवं सदर थाना कांड संख्या-452/2002, दिनांक 11.09.2004 में प्राथमिकी अभियुक्त श्री विनोद कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी के पेंशनादि भुगतान के संबंध में प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया। प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण श्री विनोद सिंह, सेवानिवृत्त प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी के विरुद्ध दर्ज रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े जाने संबंधी मामले में निर्णय लेने में

व्यवधान उत्पन्न हुआ है। श्रीमती खलखो का यह कृत विभागीय निदेशों के अवहेलना एवं विभागीय कार्यों के निष्पादन में असहयोग को प्रदर्शित करता है।

(ii) विभागीय पत्रांक-80, दिनांक 13.01.2025 द्वारा श्रीमती खलखो से इस संबंध में स्पष्टीकरण की माँग की गई परन्तु श्रीमती खलखो द्वारा इसका अनदेखा करते हुए स्पष्टीकरण नहीं दिया गया।

(iii) श्रीमती खलखो द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा से नहीं किया गया जो सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम- 3(1)(i)(ii)(iii) के प्रतिकूल है।

3. उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-6748, दिनांक 20.11.2025 द्वारा श्रीमती खलखो से स्पष्टीकरण की माँग की गई। उक्त के अनुपालन में श्रीमती खलखो के पत्रांक 1012, दिनांक 27.11.2025 द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब समर्पित किया गया।

4. श्रीमती खलखो द्वारा समर्पित जवाब का मुख्य बिन्दु निम्नवत् है

श्री विनोद कुमार सिन्हा दिनांक 31.03.2018 को प्रखण्ड नोवामुण्डी, जिला पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा से सेवानिवृत्त हुए हैं। जिला आपूर्तिपदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के पद पर श्रीमती खलखो का पदस्थापन खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग की अधिसूचना संख्या-2814, दिनांक 23.09.2023 द्वारा किया गया है।

प्रश्नगत मामले में इनके पदस्थापन के पूर्व 06 विभागीय पत्र के माध्यम से प्रतिवेदन की माँग की गई थी, जिसमें 02 (दो) बार ही प्रतिवेदन भेजी गई थी एवं जिला आपूर्ति कार्यालय पश्चिमी सिंहभूम के द्वारा अद्यतन स्थिति से अवगत कराया गया था।

इनके कार्यालय में प्रतिवेदन हेतु विभागीय पत्रांक-20, दिनांक 20.01.2024, विभागीय पत्रांक-859, दिनांक 15.03.2024, विभागीय पत्रांक-2185, दिनांक 09.09.2024 विभाग से निर्गत किया गया। तीनों पत्र इनके संज्ञान में नहीं आ पाया।

विभागीय पत्रांक-80, दिनांक 13.01.2025 द्वारा स्पष्टीकरण के रूप में प्रथमवार प्रश्नगत विषय के संबंध में जानकारी मिली, जिसके उपरांत इनके द्वारा त्वरित गति से कार्य करते हुए कार्यालय पत्रांक-33(बी०)/आ०, दिनांक 18.01.2025 के द्वारा श्री विनोद सिन्हा के औपबंधिक पेंशन की स्वीकृति संबंधी पत्र महालेखाकार (लेखा एवं हक), झारखण्ड, राँची को भेजा गया। साथ ही कार्यालय आदेश ज्ञापांक 34(बी०)/आ०, दिनांक 18.01.2025 द्वारा श्री सिन्हा को माह अप्रैल 2018 से माह नवम्बर 2024 तक औपबंधिक पेंशन की राशि का भुगतान किया गया।

श्री विनोद कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी के मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रत्येक माह औपबंधिक पेंशन अपने वेतन के साथ ही कराने का निर्देश भी दिया गया। श्री सिन्हा का औपबंधिक पेंशन माह अक्टूबर 2025 तक अद्यतन है।

इनके द्वारा लोकसभा निर्वाचन (आम) चुनाव 2024 एवं निदेशक, DRDA एवं निदेशक, NEP के अत्याधिक कार्यभार के कारण विभाग को ससमय प्रतिवेदन प्रेषित नहीं किया गया तथा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया, इसके लिए ये क्षमाप्रार्थी हैं। भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी।

5. श्रीमती खलखो के विरुद्ध गठित आरोप एवं उनके द्वारा समर्पित जवाब की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि श्रीमती खलखो के विरुद्ध गठित आरोप आदेश की अवहेलना से संबंधित है, जिसके लिए श्रीमती खलखो द्वारा क्षमा मांगते हुए भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होने का आश्वासन दिया गया है।

मामला श्रीमती खलखो के संज्ञान में आने के उपरांत द्वारा इनके द्वारा त्वरित गति से कार्य करते हुए कार्यालय पत्रांक 33(बी०)/आ०, दिनांक 18.01.2025 के द्वारा श्री विनोद सिन्हा के औपबंधिक पेंशन की स्वीकृति संबंधी पत्र महालेखाकार (लेखा एवं हक), झारखण्ड, राँची को पत्र भेजा गया। कार्यालय आदेश ज्ञापांक 34(बी०)/आ०, दिनांक 18.01.2025 द्वारा श्री सिन्हा को माह अप्रैल 2018 से माह नवम्बर 2024 तक औपबंधिक पेंशन की राशि का भुगतान-किया गया। श्री सिन्हा का औपबंधिक पेंशन माह अक्टूबर 2025 तक अद्यतन है।

6. अतः समीक्षोपरांत, श्रीमती सुनीला खलखो, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 134/20), जिला आपूर्ति पदाधिकारी पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा से संबंधित इस मामले को संचिकास्त किया जाता है।

चिन्टू दोराईबुरु
सरकार के संयुक्त सचिव।
